अरुण बी सहर्या, मुख्य न्यायमूर्ति और वी.के. बाली, न्यायमूर्ति. के समक्ष

भारत जीवन बीमा निगम -अपीलकर्ता

बनाम

हंसराज -प्रतिवादी

एल.पी.ए. *1991* का *1282*

7 दिसंबर *2001*

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद *226*-भारतीय जीवन बीमा निगम *(*कर्मचारी*)* विनियम, *1960*-विनियम *19(2)* एवं *25(4)*- सेवा से निष्कासन -एल.आई.सी. का एक फील्ड अधिकारी एम.सी. का चुनाव लड़ रहा है। समय रहते चेयरमैन को अनुमति के लिए आवेदन देकर चुनाव कराना - न तो चेयरमैन ने कभी वादी के अनुरोध को अस्वीकार किया और न ही उन्हें चेयरमैन से कोई सूचना मिली - निगम ने कुछ समान स्थिति वाले कर्मचारियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी - वादी को इसकी अनुमति नहीं दी गई अपने बचाव में प्रमुख साक्ष्य विनियमन *39(2)* के प्रावधानों का उल्लंघन -याचिकाकर्ता को बहाली और मुआवजे का हकदार मानने के एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा गया - निगम की अपील लागत के साथ खारिज कर दी गई।

माना गया कि वादी के खिलाफ पहला आरोप यह था कि उसने खुद को एक स्थानीय प्राधिकारी के चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में पेश किया था और बाद में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सदस्य के रूप में निर्वाचित हो गया। *1960* के विनियम *25* के उप-खंड *(4)* के प्रावधान *(iii)* में पूर्व अनुमति की परिकल्पना नहीं की गई है। इसके अलावा, जैसा कि माना गया है, अनुमति देने वाला एकमात्र सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष है, जिसे स्वीकार करते हुए वादी ने समय रहते आवेदन किया था। यह विवादित नहीं है कि किसी भी स्तर पर, अध्यक्ष ने वादी को चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार नहीं किया था।

पैरा *(12)*

इसके अलावा, यह माना गया कि वादी को आरोप-पत्र जारी करते समय, उसे गवाहों की एक सूची देने के लिए कहा गया था, जिनसे वह अपने मामले को साबित करने के लिए पूछताछ करना चाहता था और वादी ने आरोप-पत्र के उत्तर के साथ गवाहों की एक सूची संलग्न की थी। यदि निगम का रुख यह था कि उसकी ओर से किसी भी गवाह से पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी या यहाँ तक की वादी को बचाव में साक्ष्य देने की अनुमति देने के लिए, वादी को आरोप-पत्र में गवाहों की सूची देने के लिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वादी को अपने साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति न देकर, निगम ने 1960 के विनियम 39(2) के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है, जो सक्षम प्राधिकारी को उस व्यक्ति को एक अवसर देने का आदेश देता है, जिसके खिलाफ बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य आदेश दिया गया है यी सेवानिवृत्ति पारित करने का इरादा है। बचाव का नेतृत्व करने के वादी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। निश्चित रूप से, वह अपनी प्रामाणिकता स्थापित करने का हकदार था और कारण बताओ नोटिस और आरोप-पत्र के जवाबों में उसके द्वारा पेश किए गए बचाव ऐसे थे कि अगर साबित हो जाता, तो उसके परिणामस्वरूप आदेश दिया जा सकता था या वादी को दोषमुक्त किया जा सकता था।

भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम हंस राज

(वी.के.बाली, न्यायमूर्ति)

(पैरा 12 एवं 13)

अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ बी.आर.महाजन अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से

आर.सी.सेतिया, अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

वी. के. बाली, न्यायमूर्ति:

(1) हंस राज आर्य (बाद में 'वादी' के रूप में संदर्भित) का सेवा करियर शुरुआती वर्षों में खराब स्थिति में चला गया जब वह भारतीय जीवन बीमा निगम (इसके बाद 'अपीलकर्ता के रूप में संदर्भित) में विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत हुए।) और जैसा कि प्रतीत होता है, मुकदमेबाजी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि जितने वर्षों तक उसने सेवा की होगी, उसने खर्च कर दिए। या तो सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच गए हैं या उसके बहुत करीब हो सकते हैं।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्यों से पता चलता है कि वादी को 3 दिसंबर, 1964 के आदेश के तहत सेवा से हटा दिया गया था। विवश होकर उसने सिविल कोर्ट के समक्ष सेवा से अपने निष्कासन को पूरी तरह से अवैध बताकर इस मुद्दे को उठाया, जिसमें उसने मुकदमा दायर किया था। इस आशय की घोषणा कि भारतीय जीवन बीमा निगम के आंचलिक प्रबंधक द्वारा पारित उपरोक्त आदेश अवैध था और इसी तरह उनकी बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ अपील में दिया गया आदेश भी अवैध था। वह इस आशय की घोषणा का डिक्री प्राप्त करने में सफल रहा कि अपीलकर्ता निगम से उसे सेवा से हटाना गलत था और 3 दिसंबर, 1964 और 8 जून, 1965 के आक्षेपित आदेश अरक्षणीय थे।ऊपर उल्लिखित निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, वादी को, हालांकि, सेवा में बहाल करने का आदेश नहीं दिया गया था और इसके बजाय रुपये की क्षति के लिए 2000 रुपया के मुआवज़े और डिक्री का हकदार माना गया था। गलत तरीके से निष्कासन की अवधि और आनुपातिक लागत के साथ मुकदमा दायर करने की अवधि के बीच उसकी कमाई में अंतर के कारण हालाँकि, भविष्य के नुकसान के लिए उनका दावा खारिज कर दिया गया था। विवश होकर, जबकि वादी ने 1978 की संख्या 1910 के साथ नियमित प्रथम अपील दायर की, अपीलकर्ता-निगम ने 1979 की संख्या 225/सीआई के साथ क्रॉस आपत्तियां दायर कीं। जाहिर है, जबकि उपरोक्त अपील में वादी ने प्रार्थना की थी कि उसे आदेश दिया जाना चाहिए था सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल, अपीलकर्ता-निगम ने वादी को हर्जाना देने को भी चुनौती दी। अपील और प्रति आपत्ति दोनों का निर्णय दिनांक 15 मार्च, 1991 के एक सामान्य निर्णय द्वारा किया गया था। 30 अक्टूबर, 1973 को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ वादी द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया गया था, इस प्रकार आदेश दिया गया था वादी को सेवा में बहाल किया जाएगा और उसकी सेवानिवृत्ति तक निरंतर सेवा में माना जाएगा और साथ ही परिलब्धियां भी, जो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएंगी कि यदि वादी उस अवधि के दौरान लाभकारी रोजगार में था, तो उसे सेवा से हटा दिया गया था, क्रॉस आपत्तियों को प्राथमिकता दी गई अपीलार्थी द्वारा खारिज कर दिया गया। यह सिविल कोर्ट के फैसले से निकला विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय है जिसे लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत दायर इस अपील में चुनौती दी गई है।

(3) वादी द्वारा मुकदमा दायर करने के संक्षिप्त तथ्य, जिसके परिणाम पहले ही ऊपर बताए गए हैं, से पता चलता

है कि वादी अबोहर में अपीलकर्ता के शाखा कार्यालय में विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत था। भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) विनियमन 1960 के नियम 19(2) में निहित प्रावधानों के के मद्देनज़र(इसके बाद 1960 विनियमन के रूप में संदर्भित), वादी सभी वेतन वृद्धि, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि के साथ 58 वर्ष की आयु पूरी होने तक सेवा में बने रहने का हकदार था। वर्ष 1961 में अबोहर में नगरपालिका चुनाव हुए। नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि 20 अगस्त, 1961 तक था और चुनाव 24 को हुए थे सितम्बर, 1961. वादी ने चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी अपीलकर्ता-निगम के अध्यक्ष से, अपने आवेदन के माध्यम से दिनांक 20 अगस्त, 1961. शाखा कार्यालय, अबोहर, पत्र द्वारा दिनांक 31 अगस्त 1961, ने वादी को सूचित किया कि उसका आवेदन के लिए डिविजनल मैनेजर, जालंधर को भेज दिया गया है सोच-विचार। हालाँकि,- दिनांक 5 दिसंबर1963 के संचार के माध्यम से उन्हें 4 प्रतिवादी वें वरिष्ठ मंडल प्रबंधक द्वारा बुलाया गया सिविल कोर्ट के समक्ष पार्टियों के ज्ञापन में , 15 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा कि उसने चुनाव क्यों लड़ा है चुनाव और जैसा कि उन्होंने वरिष्ठ के कार्यालय को स्वीकार किया है नगर निगम में उपाध्यक्ष. वादी ने प्रस्तुत किया 21 दिसंबर, 1963 को उनका स्पष्टीकरण, जो नहीं मिला था संतोषजनक, इस प्रकार, वादी के प्रभारी के रूप में, - 16 मार्च, 1964 को विस्तृत आदेश. पूर्व से लगाए गए आरोपों के अनुसार. P-6, दिनांक 16 मार्च, 1964, इस प्रकार पढ़ें: —

"(i) कि आपने खुद को चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के रूप में पेश किया और बाद में नगरपालिका के सदस्य के रूप में चुने गए समिति, अबोहर, पूर्व अनुमति के बिना के विनियमन 25(4) के उल्लंघन में सक्षम प्राधिकारी (स्टाफ) विनियम, 1960, और इस प्रकार एक प्रतिबद्ध है पूर्वोक्त कर्मचारी विनियमों का उल्लंघन.

(ii) कि आपने भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष-कार्यालय स्वीकार किया है। -1963 वर्ष में पूर्वोक्त नगर पालिका के अध्यक्ष सक्षम की पूर्व अनुमति के बिना अधिकार जो आपके तंत्र का कार्य करता हैक स्टाफ़ विनियम, 1960 का विनियमन 28."का उल्लंघन हुआ है

(4) अंतिम ,लेकिन चार्ज-शीट के पैराग्राफ में से एक, यह उल्लेख किया गया है कि यदि वादी किसी का हवाला दे सकता है गवाह (किस मामले में, उनके नाम, पदनाम और पते उनके साक्ष्य की प्रकृति को इंगित करते हुए सुसज्जित किया जाना चाहिए जो वह मामले को साबित करने या उसे खारिज करने का इरादा) उसे अनुमति दी जाएगी अपनी लागत पर गवाह या गवाह का उत्पादन करें. वादी ने प्रस्तुत किया चार्ज-शीट का उत्तर, — 30 मार्च, 1964 को उनके पत्र के अनुसार जिसमें, अन्य बातों के साथ, उन्होंने कहा कि उन्हें सदस्य के रूप में चुना गया था स्थानीय नगर समिति तीन साल पहले और स्पष्टीकरण था स्थानीय शाखा कार्यालय को प्रस्तुत किया गया, — ने 7 जनवरी 1962 को अपना पत्र दिया, . सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, मामला बंद कर दिया गया था लेकिन, ऐसा प्रतीत होता है इस मुद्दे को फिर से विशुद्ध रूप से प्रेरित किया गया था उन्होंने इस न्यायालय के हालिया फैसले का संदर्भ दिया 11 नवंबर, 1960 को प्रदान किया गया बिशन दास बनाम **W.L.** भंबरी और समझाया कि किसी भी वारंट के लिए कुछ भी नहीं था सजा के बाद से उन्होंने चुनाव से पहले अच्छी तरह से अनुमति मांगी थी निर्णय के मद्देनजर, ऊपर और आगे उल्लेख किया गया है कि वहाँ नगर पालिका समिति के शेष कर्मचारियों और भारतीय जीवन बीमा निगम के शेष कर्मचारियों से जीवन बीमा निगम के विकास कर्मचारियों को वंचित करने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे उदाहरण हैं जिनके बारे में विभाग को पूरी जानकारी थी कि फील्ड अधिकारी कहीं और नगरपालिका समिति के सदस्य थे। उन्होंने

•

एस/एसएच नाम दिया. उस संबंध में वलैती राम भांबरी और, पठानकोट के मदन लाल महेंद्रू। अबोहर नगर समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में अपने चुनाव के संबंध में, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से इस चुनाव को लाभ के पद के रूप में नहीं रखा जा सकता है और इसके अलावा ऐसे चुनाव की अवधि केवल एक वर्ष है। स्थानीय नगर समिति के लिए उनके चुनाव का अपीलकर्ता निगम में उनके काम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। इसके विपरीत, अपीलकर्ता-निगम को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि उसके एक कार्यकर्ता पर लोगों का इतना विश्वास है और वह उनका निर्वाचित प्रतिनिधि है। उन्होंने आगे कहा कि वह जालंधर डिवीजन में अपीलकर्ता के पूरे संगठन में एकमात्र हरिजन फील्ड ऑफिसर थे और उन्हें आजीविका कमाने और अपने समुदाय के लिए सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अपना विनम्र योगदान जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने गंभीर आश्वासन के साथ आगे कहा कि किसी भी परिस्थिति में, वह नगरपालिका समिति के साथ अपने जुड़ाव के कारण जीवन बीमा निगम के काम को प्रभावित नहीं होने देंगे। यह मामले के रिकॉर्ड से प्रतीत होता है और विद्वान ट्रायल न्यायाधीश और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष भी हैं कि अपनी ओर से कोई सबूत दर्ज किए बिना और उस मामले के लिए वादी को बचाव में साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति देते हुए, कारण बताओ नोटिस दिनांकित किया गया 14 सितंबर, 1964 को वादी को सेवा से हटाने का प्रस्ताव जारी किया गया था, हालांकि, यह भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं थी। उन्हें उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 10 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि उनके पास देने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था। वादी ने उपरोक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब 29 सितंबर, 1964 के पत्र के माध्यम से दिया, जिसमें अनुरोध किया गया था कि उसे चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाला एकमात्र सक्षम प्राधिकारी निगम का अध्यक्ष था। उनके अनुरोध को सक्षम प्राधिकारी ने कभी भी अस्वीकार नहीं किया था और उनके पास यह मानने के कारण थे कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई उनके विरोधियों के प्रभाव में थी ताकि उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा सके। उन्होंने आगे कहा कि सभापति द्वारा उनके आवेदन को, यदि कोई हो, अस्वीकार नहीं किया गया उन्हें सूचित किया गया और उन्होंने इसके लिए अपना आवेदन अनुमति के लिए 20, अगस्त, 1961 को समय जमा किया । यहां तक कि मंडल कार्यालय ने भी उनके चुनाव लड़ने पर आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि 12 दिसंबर, 1963 से पहले उन्हें कभी कोई पत्र नहीं मिला था, जब से उन्हें वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उनका मानना था कि अधिकारियों पर उनके विरोधियों के प्रभाव के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और वास्तव में एक हरिजन होने के नाते उन्हें बेहतर इलाज मिलना चाहिए था। इसके विपरीत, अपीलकर्ता ने एस/एसएच को मंजूरी दे दी थी। वलैती राम भांबरी, पठानकोट के मदन लाल महेंद्रू और श्री. एस.आर. सहगल, फील्ड ऑफिसर, मोगा उप-कार्यालय को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था और उन्हें अपने विरोधियों के उच्च दृष्टिकोण और प्रभाव के कारण समकक्ष व्यवहार से भी वंचित किया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा कि श्री. एस.आर. सहगल न केवल मोगा नगर समिति के सदस्य रहे बल्कि एक कार्यकाल के लिए अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने श्री के मामले में दी गई अनुमति की एक प्रति संलग्न की। एस.आर. सहगल. अंत में, उन्होंने दंड प्राधिकारी द्वारा मामले में औपचारिक सुनवाई की प्रार्थना की।

(5) सेवा से हटाने के प्रस्ताव वाले कारण बताओ नोटिस के जवाब में वादी द्वारा कही गई किसी भी बात पर विचार किए बिना, 3 दिसंबर, 1964 का आदेश पारित कर दिया गया। वही इस प्रकार पढ़ता है:-

"मैंने श्री एच.आर. आर्य, विकास अधिकारी, कोड नंबर 18, अबोहर शाखा के 29 सितंबर, 1964 के जवाब को

देखा है, जो कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 सितंबर, 1964 को दिया गया था, जिसमें सेवा से हटाने का दंड प्रस्तावित था। जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) विनियम, 1960 के विनियम संख्या 39-1(एफ) के तहत निगम का जो भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्य नहीं होगा। उनका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया है। इसलिए, मैं इसका अभ्यास कर रहा हूं। जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) विनियम, 1960 की अनुसूची। के तहत मुझमें निहित शक्तियां, श्री एच.आर. आर्य पर जीवन बीमा के निगम (कर्मचारी) विनियम, 1960:विनियम संख्या 39-1 (एफ) के तहत निम्नलिखित जुर्माना लगाती हैं।

"श्री एच.आर. आर्य को सेवा से हटाया जाए जो कि भविष्य में रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगा।

" उपरोक्त आदेश उस पर इसकी सेवा की तारीख से प्रभावी होगा "

(6) विवश होकर वादी ने उपरोक्त आदेश के विरूद्ध 6 फरवरी 1965 को अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। नोटिस से पहले ऊपर बताए गए तथ्यों पर, वादी ने इस आशय की घोषणा के लिए डिक्री की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया कि सेवा से हटाने का आदेश और अपीलीय आदेश पूरी तरह से अवैध और शून्य थे। पैराग्राफ 10 (ए) से (एम) में, उन्होंने ऐसे आधार पेश किए, जिसके परिणामस्वरूप उनके सेवा से निष्कासन का आदेश अमान्य हो जाएगा। इसे इस प्रकार पढ़ें:-

"10 (ए)। प्रश्न में चुनाव 24 सितंबर, 1961 को होने वाला था और वादी ने 28 अगस्त, 1961 को अनुमति के लिए आवेदन किया था, यानी चुनाव से लगभग एक महीने पहले और निपटान के लिए पर्याप्त समय था भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष को उनके आवेदन को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का आदेश दिया। चूंकि अध्यक्ष से कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ था, वादी ने सद्भावपूर्वक यह मान लिया कि उसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए, उन्होंने चुनाव लड़ा और सदस्य चुने गए नगर पालिका, अबोहर।

(बी) यदि वादी का आवेदन खारिज कर दिया गया होता और उसे इस आशय का आदेश प्राप्त होता, तो वह चुनाव नहीं लड़ता और न ही खुद को नगरपालिका समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव के लिए पेश करता। वादी के उक्त आवेदन पर अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। बल्कि अबोहर नगर समिति के नगर आयुक्त और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में वादी के चुनाव को भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय द्वारा सम्मानित किया गया था।

(सी) यह कि वादी को इस वाद के पैरा 4 में उल्लिखित नोटिस दो साल बाद दिया गया था। वादी के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के कहने पर वादी को नोटिस दुर्भावना से दिया गया था, जिसका उद्देश्य वादी को परेशान करना था, साथ ही चुनाव लड़ने के बारे में पुष्टि की मंजूरी वादी को बाद के चरण में भी दी जा सकती थी। जैसे भी भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकारियों ने वादी को मंजूरी देने में कोई मन नहीं था, वे वादी को नगरपालिका समिति, अबोहर की सीट और कार्यालय से इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं और वादी के ऐसा करने में विफल रहने पर, प्रतिवादी नंबर 1 उसके खिलाफ कुछ मंजूरी ले सकता है। वादी. चूंकि प्रतिवादी दुर्भावना से काम कर रहे थे इसलिए उन्होंने यह सब किया।

(डी) कि वादी जो हरिजन है, उसके साथ भेदभाव करने का कोई औचित्य नहीं है।

(ई) कि वादी एक स्वतंत्र उम्मीदवार था और किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं था।

(एफ) नगरपालिका समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद लाभ का पद नहीं है और न ही नगर आयुक्त या वरिष्ठ

उपाध्यक्ष के रूप में वादी के चुनाव के परिणामस्वरूप बीमा कार्य प्रभावित होने की कोई संभावना है। बल्कि यह बीमा कार्य के लिए लाभदायक था।

(जी) कि प्रतिवादी संख्या 4 दंड प्राधिकारी नहीं होने के कारण वादी के विरुद्ध कोई आरोप पत्र गठित नहीं कर सका।

(एच) विनियम 39(2) के अनुसार कोई जांच नहीं की गई। वादी को अपने खिलाफ लगाए गए आरोप के खिलाफ खुद का बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया। यहां तक कि प्रतिवादी संख्या 4 की रिपोर्ट की प्रति भी उन्हें उपलब्ध नहीं करायी गयी. वादी ने अपने पदनाम और पते के साथ 6 बचाव गवाहों की एक सूची प्रस्तुत की और फिर भी किसी भी अधिकारी द्वारा एक को भी बुलाकर जांच नहीं की गई।

(आई) कारण बताओ नोटिस कानून की नजर में कोई नोटिस नहीं है क्योंकि यह वादी को सेवा से हटाने का जुर्माना लगाने के निष्कर्ष का कारण नहीं बताता है।

(जे) कि निष्कासन का आदेश केवल एक गूढ़ आदेश है, बोलने वाला आदेश नहीं।

(के) कि अपीलीय आदेश प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित किया गया समान कानूनी दुर्बलता से ग्रस्त है और कर्मचारी विनियम, 1960 के विनियम संख्या 46(2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

(एल) यह कि उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध था क्योंकि प्रश्नगत आदेश पारित करने से पहले न तो प्रतिवादी संख्या 3 और न ही प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी की बात सुनी। प्रतिवादी क्रमांक 4 ने भी कभी उसकी बात नहीं सुनी।

(एम) कि वादी को प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा 14 मई, 1962 से 23 जून 1962 तक अम्बाला छावनी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था और भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस अवधि के दौरान वादी के सभी खर्चों को वहन किया था। प्रशिक्षण। यह निहित था कि निगम ने वादी के आवेदन को स्वीकार कर लिया था और मंजूरी दे दी थी, अन्यथा निगम ने वादी को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया होता। प्रतिवादियों को उनके आचरण से वादी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से रोक दिया गया था।"

(7) अपीलकर्ता ने कुछ प्रारंभिक आपत्तियों की दलील देकर वादी के मामले का विरोध किया, जैसे, पार्टियों का मिसजॉइंडर, आवश्यक पार्टियों का नॉन-जॉइंडर, कोर्ट फीस और क्षेत्राधिकार के उद्देश्य से मुकदमे का उचित मूल्यांकन नहीं किया जाना, कोर्ट के पास कोई क्षेत्राधिकार नहीं होना। मामले में और वादी को इस आशय की कोई घोषणा नहीं दी जा सकती कि 3 दिसंबर, 1964 और 8 जून, 1965 के आदेश कानून की दृष्टि से खराब थे, एक ओर वादी और दूसरी ओर भारतीय जीवन बीमा निगम के बीच व्यक्तिगत सेवा का अनुबंध था। विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 21(बी) के प्रावधानों के मद्देनजर व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। तब यह दलील दी गई थी कि वादी की सेवाएं भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) विनियम, 1960 के अनुसार निर्धारित की गई थीं, जिसके द्वारा वादी और प्रतिवादी अपने संबंधों में परस्पर शासित होते थे। वादी केवल संविदात्मक रोजगार में था, वैधानिक रोजगार में नहीं। उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है क्योंकि उन्होंने जीवन बीमा निगम के साथ किए गए अनुबंध का उल्लंघन किया है क्योंकि उन्होंने निगम की पूर्व अनुमति के बिना नगर निगम चुनाव लड़ा था। आगे यह दलील दी गई कि वादी था 31 अगस्त, 1961 को अबोहर स्थित निगम शाखा कार्यालय द्वारा सूचित किया गया कि वह नगर निगम चुनाव नहीं लड़ सकते। गुण-दोष के

•

आधार पर, यह दलील दी गई कि वादी को भी सभी अवसरों पर अवसर दिया गया है और उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों और उनके जवाब को देखते हुए, कोई पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पार्टियों की दलीलों ने निम्नलिखित मुद्दों को जन्म दिया:-

"1. क्या प्रतिवादी संख्या 3, दिनांक 3 दिसंबर, 1964 के आदेश और प्रतिवादी संख्या 2, दिनांक 8 जून, 1965 के आदेश, वादपत्र में उल्लिखित आधारों पर अमान्य हैं? ओपीपी।

2. क्या मुकदमा पार्टियों के गलत जुड़ाव के लिए बुरा है, यदि हां तो इसका क्या प्रभाव होगा? ओपीडी.

3. क्या वर्तमान स्वरूप में मुकदमा चलने योग्य नहीं है? ओपीडी.

4. क्या दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के प्रावधानों को वर्तमान मामले में लागू किया जा सकता है, यदि हां तो वे क्या हैं और उनका क्या प्रभाव है? ओपीडी.

5. क्या न्यायालय शुल्क और क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए मुकदमे का उचित मूल्यांकन किया गया है? ओपीपी.

6. क्या लिखित कथन की आपत्ति क्रमांक 5/6 के दृष्टिगत वाद सक्षम नहीं है? ओपीडी.

7. क्या नुकसान का दावा समय के भीतर है? ओपीपी.

8. क्या वादी का नगर पालिका के सदस्य या वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव उसकी सेवा के नियमों और जीवन बीमा निगम के कर्मचारी विनियमों के विरुद्ध है, यदि हां तो इसका क्या प्रभाव होगा? ओपीडी.

9. क्या वादी किसी क्षतिपूर्ति का हकदार है, यदि हां तो कितना? ओपीपी.

10. क्या वादी भविष्य में होने वाले नुकसान का हकदार है, यदि हां तो कितना? ओपीपी.

11. राहत।"

(8) उपरोक्त मुद्दों पर परिणामी सुनवाई निर्णय और डिक्री में परिणत हुई जो ऊपर बताए गए तरीके से वादी के पक्ष में प्रदान की गई, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा फिर से ऊपर बताए अनुसार संशोधित किया गया है।

(9) एकमात्र विवाद वरिष्ठ वकील श्री अशोक अग्रवाल द्वारा उठाया गया, जिनकी सहायता श्री बी.आर महाजन अधिवक्ता. ने की। , वर्तमान अपील के समर्थन में कहते हैं कि आरोपों की प्रकृति और वादी की स्पष्ट स्वीकारोक्ति को देखते हुए, आरोपों को साबित करने या यहां तक कि वादी को साक्ष्य का नेतृत्व करने का कोई अवसर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। या अपनी रक्षा में किसी भी गवाह की पूछताछ करने में। 1960 के विनियमों के विनियम 25(4) और 28 का वादी द्वारा दण्डमुक्ति के साथ उल्लंघन किया गया। वादी के खिलाफ लगाए गए आरोप 1960 के विनियम 25(4) और 28 के तहत कवर किए गए थे, जिसका उल्लंघन वादी के खिलाफ आरोप लगाया गया था। अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील का तर्क है कि वादी द्वारा समय-समय पर दिए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब की सामग्री से, वादी के खिलाफ आरोप साबित हो गए।

(10) हमने पक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान वकील को सुना है और उनकी सहायता से मामले के रिकॉर्ड की जांच की है। ऊपर उल्लेखित विद्वान वकील का एकमात्र तर्क, हमारे विचार में, पक्षों की दलीलों और सबूतों के आलोक में, कोई भी सार नहीं है। यह तर्क कि वादी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए या उस मामले के लिए किसी भी साक्ष्य का नेतृत्व करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वादी को साक्ष्य का नेतृत्व करने का अवसर दिया गया था, इसका उल्लेख किया जा सकता है, नीचे के न्यायालयों के समक्ष नहीं उठाया गया था। हालाँकि, भले ही अपीलकर्ता को पहली बार मुद्दा उठाने की अनुमति दी गई हो, इससे कोई फर्क नहीं

पड़ेगा। 1960 विनियम का विनियम 25(4) इस प्रकार है:---

"25 (4)। कोई भी कर्मचारी किसी विधायिका या स्थानीय प्राधिकारी के चुनाव के संबंध में प्रचार नहीं करेगा या अन्यथा हस्तक्षेप नहीं करेगा या अपने प्रभाव का उपयोग नहीं करेगा;"

(11) 1960 विनियमों के विनियम 25 के उप खंड (4) का प्रावधान (iii) इस प्रकार है:-

"25(4)(iii)। अध्यक्ष किसी कर्मचारी को स्थानीय प्राधिकारी के चुनाव के लिए खुद को उम्मीदवार के रूप में पेश करने की अनुमति दे सकता है और अनुमति प्राप्त कर्मचारी को इस विनियमन के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।"

(12) इस स्तर पर यह याद किया जा सकता है कि वादी के खिलाफ पहला आरोप यह था कि उसने खुद को एक स्थानीय प्राधिकारी के चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में पेश किया था और बाद में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना सदस्य के रूप में निर्वाचित हो गया। 1960 के विनियम 25 के उप खंड (4) के प्रावधान (iii) में पूर्व अनुमति की परिकल्पना नहीं की गई है। इसके अलावा, जैसा कि दलीलों के दौरान माना गया, अनुमति देने के लिए एकमात्र सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष हैं, जिनके पास, यह स्वीकार करते हुए कि वादी ने भी समय पर आवेदन किया था। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि किसी भी स्तर पर चेयरमैन ने वादी को चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार नहीं किया था। मामला यहीं तक सीमित नहीं है क्योंकि यह मानते हुए कि नगर निगम का चुनाव लड़ने के लिए वादी की प्रार्थना को खारिज करने का आदेश था, वादी ने कई आधार गिनाए थे, जो साबित होने पर उसे दोषमुक्त किया जा सकता था। हर स्तर पर, वादी ने कहा कि वह फ्रेम अप का शिकार था। इसे प्रमाणित करने के लिए, कम से कम प्रथम दृष्टया, उन्होंने कहा था कि भले ही यह तीन साल पुराना मामला था जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस मुद्दे को उन व्यक्तियों के कहने पर उठाया गया था जो उनके प्रभाव के कारण उनके विरोधी थे या उनके विरोधी थे। सत्ता के गलियारों में. अंततः उनके द्वारा दायर किए गए मुकदमे में, उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि चुनाव लड़ने के बाद उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, जो आगे दिखाएगा कि जो मामला पहले सुलझ गया था, उसे अनावश्यक विचारों के कारण फिर से खोल दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि अनुमति अध्यक्ष द्वारा दी जानी थी, जिन्होंने कभी भी इसे अस्वीकार नहीं किया और इस स्तर पर यह उल्लेख किया जा सकता है कि वास्तव में, यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी उपलब्ध नहीं है कि अध्यक्ष ने कभी वादी को चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। चुनाव। उन्होंने यह भी कहा कि इसी तरह की स्थिति वाले अपीलकर्ता निगम कर्मचारियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी और उनमें से कुछ तो किसी न किसी पद पर थे। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि वादी को आरोप पत्र जारी करते समय, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वादी को उन गवाहों की एक सूची देने के लिए कहा गया था, जिनसे वह अपने मामले को साबित करने के लिए पूछताछ करना चाहता था और वादी को आरोप पत्र के उत्तर के साथ गवाहों की एक सूची संलग्न की। यदि अपीलकर्ता का रुख यह था कि उसकी ओर से किसी गवाह की जांच करने या वादी को बचाव में साक्ष्य देने की अनुमति देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो वादी को गवाहों की सूची देने के लिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आरोप-पत्र दिनांक 16 मार्च, 1964। वादी को अनुमति न देने में अपने साक्ष्य का नेतृत्व करने के लिए, हमारे विचार में, अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से 1960 विनियमों के विनियम 39(2) के प्रावधान, इका उल्लंघन किया है। , जो इस प्रकार हैं :-
"किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा या हटाया नहीं जाएगा या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं

किया जाएगा या निचली सेवा या पद पर या कम समय के पैमाने पर या समयमान में निचले स्तर पर नहीं भेजा जाएगा और किसी कर्मचारी पर खंड (बी) में निर्दिष्ट कोई भी दंड लगाने का आदेश नहीं दिया जाएगा।) उपरोक्त उपविनियम (1) के (जी) को अनुसूची । में निर्दिष्ट अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा आरोप या आरोप के बारे में लिखित रूप में सूचित किए बिना और ऐसे आरोप के खिलाफ खुद का बचाव करने का उचित अवसर दिए बिना पारित किया जाएगा। या आरोप और उसके खिलाफ की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने का।"

(13) उपरोक्त विनियम सक्षम प्राधिकारी को उस व्यक्ति को एक अवसर देने का आदेश देता है, जिसके विरुद्ध बर्खास्तगी, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पारित करने का इरादा है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, बचाव का नेतृत्व करने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था। निश्चित रूप से, वादी अपनी प्रामाणिकता स्थापित करने का हकदार था और कारण बताओ नोटिस और आरोप-पत्र के जवाब में उसके द्वारा पेश किए गए बचाव ऐसे थे कि अगर साबित हो जाता, तो वादी को दोषमुक्त करने का आदेश दिया जा सकता था। इस स्तर पर पैराग्राफ 10 (ए), (बी), (सी), (डी) और (एफ) और आगे पैराग्राफ 10 (एम) में बताए गए अनुसार बचाव में अनुमानित आधारों का संदर्भ दिया जाना चाहिए, जो हालांकि, खत्म हो चुका था और उससे ऊपर जो उसने मुकदमा दायर करने से पहले लिया था।

(14) हम विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ सम्मानजनक समझौते में हैं कि हटाने का आदेश वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में पारित किया गया है, वादी अपनी बहाली के आदेश का हकदार है।

(15) जहां तक इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वादी उस अवधि के दौरान लाभकारी रोजगार में था, वादी की परिलब्धियों की गणना और भुगतान करने से संबंधित विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश का सवाल है, हमने वास्तव में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया है। हालाँकि, अपीलकर्ता के लिए यह कुछ हद तक कठोर प्रतीत हो सकता है कि वादी को उसकी सेवा की पूरी अवधि और चौड़ाई के लिए वेतन/मजदूरी का भुगतान किया जाए, भले ही उसने इतने वर्षों तक काम नहीं किया हो, लेकिन ऐसा भी प्रतीत होता है कि यह वादी को वह वेतन न देना बहुत अन्यायपूर्ण होगा जो उसने सामान्य रूप से अर्जित किया होता क्योंकि यह अपीलकर्ता के पूरी तरह से अवैध रवैये के कारण है कि वह लगभग *40* वर्षों की अवधि में अपने सेवा कैरियर से वंचित हो गया, जिसके दौरान वह इतने वर्षों तक अपनी आजीविका के साथ-साथ सर्वोच्च सीढ़ी तक पहुँच सकता था। हमारे विचार में, इक्विटी का झुकाव वादी के पक्ष में भारी होगा। ऐसा होने पर, वादी को मुआवजा देने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश, जैसा कि ऊपर बताया गया है, बरकरार रखने योग्य है।

(16) इस आदेश का फ़ैसला करने से पहले, हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि प्रारंभिक आपत्तियों पर आधारित कुछ भी नहीं, जैसा कि ऊपर बताया गया है, या उस मामले के लिए वर्तमान में पार्टियों और वादी के बीच सेवा अनुबंध का मामला है, इस प्रकार, हमारे समक्ष केवल हर्जाना पाने और बहाली नहीं पाने का अधिकार रखने का आग्रह किया गया है।

(17) इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, हम इसे *5000* रुपये की लागत के साथ खारिज करते हैं।

आर.एन.आर.

भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम हंस राज

(वी.के.बाली, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण *:* स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

तुषार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, कैथल, हरियाणा।